No. of Printed Pages: 7

2019

विधि – II (साक्ष्य एवं प्रक्रिया)

LAW - II (Evidence and Procedure)

निर्धारित समय : तीन घण्टे]

[पूर्णांक : 200

Time allowed: Three Hours J

[Maximum Marks: 200

नोट: अभ्यर्थी को प्रश्न संख्या 1 करना अनिवार्य है तथा अन्य कोई **चार** प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक खण्ड में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। कुल **पाँच** प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित हैं। हालाँकि सभी प्रश्नों के समान अंक हैं। एक प्रश्न के सभी भागों का उत्तर अनिवार्यत: एक साथ दिया जाय।

Notes: Candidates should attempt Question No. 1 as compulsory and four more. At least one question must be attempted from each group. In all five questions are to be answered. Marks carried by each question are indicated against the question. However, all questions carry equal marks. The parts of same question must be answered together.

1. (अ) 16 सितम्बर, 2014 को राजेश सिंघानिया ने रिवन्द्र अग्रवाल जो एक उद्योगपित था, के विरुद्ध एक फौजदारी परिवाद दाखिल किया । परिणामस्वरूप रिवन्द्र अग्रवाल को जेल जाना पड़ा और उसके उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । 16 नवम्बर, 2017 को विचारण के पश्चात् दण्ड न्यायालय ने रिवन्द्र अग्रवाल को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि उसके खिलाफ राजेश सिंघानिया का परिवाद झूठा और आधारहीन था । अब रिवन्द्र अग्रवाल, राजेश सिंघानिया के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद लाना चाहते हैं ।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर वादी रविन्द्र अग्रवाल के लिए वादपत्र तैयार कीजिए।

25

(ब) उपर्युक्त प्रश्न सं. 1(अ) के वादपत्र के उत्तर में प्रतिवादी राजेश सिंघानिया के लिए लिखित कथन का प्रारूप भी तैयार कीजिए।

अथवा

'ब' को आपराधिक 'षड्यंत्र के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाने के आशय से 'अ' एक पत्र 'ब' के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है, जिससे यह तात्पर्यित है कि 'ब' ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह अपराधी को सम्बोधित किया है और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है, जिसके सम्बन्ध में वह जानता है कि पुलिस ऑफिसर सम्भवत: उस स्थान की तलाशी लेंगे।

40
3पर्युक्त कथनों के आधार पर एक आरोप-पत्र तैयार कीजिए और दोषसिद्ध करते हुए एक निर्णय दीजिए / लिखिए।

Compulsory Question

(a) On 16th September, 2014, Rajesh Singhania instituted a criminal complaint against Ravindra Agarwal, who was an industrialist. Consequently Ravindra Agarwal had to go to Jail and his business was adversely affected. After trial on 16th November, 2017 Ravindra Agarwal was acquitted by the Criminal Court on the ground of false and baseless allegations levelled by Rajesh Singhania. Now, Ravindra Agarwal wants to sue Rajesh Singhania on the grounds of malicious prosecution.

Write a plaint for Ravindra Agarwal, in the light of the facts stated above.

(b) Prepare draft of a written statement for the defendant Rajesh Singhania on the basis of facts in Question No. 1(a).

OR

'A' with the intention of causing 'B' to be convicted of a criminal conspiracy writes a letter imitating 'B's handwriting, purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy and puts the letter at a place which is likely to be searched by the police officer.

On the basis of the facts stated above frame a charge and write a Judgement of Conviction.

खण्ड – अ Group – A

- 2. (अ) "न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण करने की अधिकारिता प्राप्त है, जब तक कि वर्जित न हो।" इस कथन को संदर्भित करते हुए सिविल प्रकृति के वादों की व्याख्या कीजिए। 20
 - (ब) न्यायालय के बाहर दीवानी मामले के निपटारे के बारे में कानून का वर्णन कीजिए।
 - (स) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 नियम 24 के अन्तर्गत जेल में बन्द कैदी को सम्मन किस प्रकार दिया जाता है ?

JUE-V 2

- (a) "Court shall have Jurisdiction to try all suits of Civil nature excepting suits of which cognizance is barred." In the context of this statement, interpret the nature of all Civil Cases.
- (b) Discuss the law relating to settlement of Civil disputes outside the court.
- (c) How a summon is served to the prisoner in Jail under O-5 R-24 of the Civil Procedure Code, 1908?
- 3. (अ) प्रतिनिधिक वाद क्या है ? प्रतिनिधिक वाद की आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए।
 - (ब) अन्तर-अभिवचनीय वाद क्या है ? यह कब और किसके द्वारा संस्थित किया जा सकता है ? 10
 - (स) किन परिस्थितियों में प्रतिवादी की सम्पत्ति वाद के निर्णय के पूर्व ही कुर्क की जा सकती है ?
 - (द) परिप्रश्न द्वारा प्रकटीकरण के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन नियमों की व्याख्या कीजिए । 10
 - (a) What is representative suit? Discuss also the essential conditions of representative suit.
 - (b) What is interpleader suit? When and by whom can it be instituted?
 - (c) Under what circumstances can the property of defendant be attached before Judgement?
 - (d) Explain the rules with respect to discovery by interrogatories under Code of Civil Procedure.
- 4. (अ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में विहित विक्षिप्त मस्तिष्क व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद दायर करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा बताइए कि वादिमत्र और वादार्थ संरक्षक पर क्या शर्तें लगाई जा सकती हैं।
 - (ब) निर्णीत ऋणी की कौन-सी सम्पत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्की करके बेची नहीं जा सकती ?
 - (स) केवियट (Caveat) से आप क्या समझते हैं ? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में केवियट दायर करने
 सम्बन्धी विधि की व्याख्या कीजिए।

- (a) Explain the procedure for filing suit for and against an unsound person as laid down under the Civil Procedure Code, 1908. Point out the conditions which can be imposed on next friend and defendant ad-litem.
- (b) What properties of a Judgement debtor cannot be attached and sold in execution of a decree?
- (c) What is 'Caveat'? Discuss the law relating to Caveat under the Civil Procedure Code, 1908.
- (अ) अभिवचन की परिभाषा लिखिए तथा उसका उद्देश्य, महत्त्व और आधारभूत नियमों को रेखांकित
 कीजिए।
 - (ब) सिविल न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों के बारे में आप क्या जानते हैं ?
 - (स) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का वर्णन कीजिए। 10
 - (a) Define pleading and underline its object, importance and basic rules.
 - (b) What do you understand by the inherent powers of the Civil Court?
 - (c) Discuss the powers of Appellate Court as given under Civil Procedure Code, 1908.

खण्ड **– ब** Group – B

- 6. (अ) विशेषज्ञ कौन हैं ? अन्य व्यक्तियों की सम्मितियाँ कब सुसंगत होती हैं ? इस प्रकार के साक्ष्य का पारिक्ष्यिक मूल्य क्या है ? एक विशेषज्ञ साक्षी और एक साधारण साक्षी में क्या अन्तर है ? 20
 - (ब) सह-अभियुक्त कौन है ? सह-अभियुक्त द्वारा दिए गये साक्ष्य की सुसंगतता तथा ग्राह्यता सम्बन्धी
 साक्ष्य विधि का वर्णन कीजिए।
 - (स) मृत्युकालीन घोषणा का क्या अर्थ है ? क्या यह घोषणा साक्ष्य में स्वीकारोक्ति है ? अगर है तो किन पिरिस्थितियों में ?

JUE-V

- (a) Who is an 'expert'? When are the opinions of third person relevant? What is the probative value of such evidence? What is the difference between an expert and ordinary witness?
- (b) Who is an accomplice? Discuss the relevancy and admissibility of the evidence given by an accomplice as provided under the law of evidence.
- (c) What is meaning of dying declaration? Is such a declaration admissible in evidence? If so, under what circumstances?
- 7. (अ) "जो सुसंगत है आवश्यक नहीं कि वह ग्राह्म ही हो, परन्तु वह सब जो ग्राह्म है सुसंगत है।" समझाइए। 20
 - (ब) अनुश्रुत साक्ष्य से सम्बन्धित नियमों की व्याख्या, इसके अपवादों सहित, यदि कोई हों, कीजिए ।
 - (स) विशेषाधिकृत संसूचनाओं पर परिपूर्ण किन्तु संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए।
 - (a) "Whatever relevant is not necessarily admissible but all whatever admissible is relevant." Explain.
 - (b) Explain the rules relating to hearsay evidence with exceptions, if any.
 - (c) Write exhaustive notes on "Privileged Communication".
- 8. (अ) सूचक प्रश्न क्या हैं ? वे कब पूछे जा सकते हैं और कब नहीं पूछे जा सकते ? स्पष्ट कीजिए। 20
 - (ब) 'क' पर रेलगाड़ी में बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, किस पर होगा ?
 - (स) 'अ' 'ब' की पत्नी है। विवाह से पूर्व 'ब' ने 'अ' को किसी मामले से सम्बन्धित कोई तथ्य के बारे में कहा था। विवाह के पश्चात क्या 'अ' को उस कहें गये कथन को प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकता है ? कारण बताइए।

JUE-V 5 [P.T.O.

- (a) What are leading questions? When can they be asked and when cannot be asked? Explain.
- (b) 'A' is charged with travelling on the railway without a ticket. On whom the burden of proof that he had a ticket shall lie?
- (c) 'A' is wife of 'B'. Before marriage 'B' said about some facts to 'A'. Can 'A', be compelled to disclose those facts after marriage? Give reasons.
- 9. (अ) उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके अन्तर्गत न्यायालय किसी व्यक्ति को निम्नांकित के लिए 'बंध पत्र' लिखने का आदेश दे सकता है:
 - (i) शान्ति बनाये रखने के लिए

10


(ii) सद्व्यवहार बनाये रखने के लिए

10

- (ब) "प्रत्येक सुभिन्न अपराध के लिए, जिसका किसी व्यक्ति पर अभियोग है, पृथक आरोप होगा और ऐसे प्रत्येक आरोप का विचारण पृथकत: किया जायेगा।" इस नियम को सोदाहरण समझाइए। 10
- (स) वह क्या दशाएँ हैं जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा ?

10

- (a) Discuss the circumstances in which the court may require a person to execute a "bond" on the following:
 - (i) For keeping peace
 - (ii) for keeping good behaviour



- (c) What are the conditions when a Magistrate may take cognizance of any offence?
- 10. (अ) अभिवचन का सपणन किसे कहते हैं ? संक्षेप में इसकी प्रक्रिया वर्णित कीजिए। क्या यह प्रावधान
 सभी श्रेणी के अपराधों तथा सभी श्रेणी के पीड़ितों के संदर्भ में लागू होते हैं ?
 - (ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जिलाधिकारी की शक्तियों की विवेचना
 कीजिए।
 - (स) क्या कोई मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त से नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेखन देने को कह सकता है ? अपवाद, यदि कोई है, के साथ विवेचना कीजिए।

- (a) What is plea bargaining? Briefly describe its procedure. Whether these provision apply in respect of all types of offences and all types of victims?
- (b) Discuss the powers of the District Magistrate under Section 144 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
- (c) Whether a Magistrate can ask any accused to give specimen signature or handwriting? Discuss with exception, if any.



JUE-V 7